

**--:: कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.) ::--**  
**// आदेश //**

क्रमांक...77...../एक-11-2/11


उज्जैन, दिनांक 09 /4/2025

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 48 दिनांक 02.04.2025 के द्वारा जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तराना (रिक्त न्यायालय) में लंबित समस्त साम्प्रतिक एवं आपराधिक प्रकरणों को श्रीमती प्रेमा साहू अतिरिक्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तराना के न्यायालय में अंतरित किया गया था।

इसी प्रकार कार्यालयीन आदेश क्रमांक 55 दिनांक 03.04.2025 के द्वारा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नागदा के न्यायालय में लंबित समस्त साम्प्रतिक एवं आपराधिक प्रकरणों को श्री विवेक शुक्ला अतिरिक्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नागदा के न्यायालय में अंतरित किया गया था।

माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के आदेश क्रमांक 735 दिनांक 08.04.2025 के द्वारा तहसील तराना में श्रीमती किरण कोल की पदस्थापना जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तराना के पद पर तथा श्री चन्दर शेन मुवेल की पदस्थापना जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नागदा के पद पर की गई है।

अतः प्रकरण के अंतरण के संबंधी कार्यालयीन आदेश क्रमांक 48 दिनांक 02.04.2025 एवं कार्यालयीन आदेश क्रमांक 55 दिनांक 03.04.2025 निरस्त किये जाते हैं।


  
राजेश कुमार गुप्ता)  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
उज्जैन (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक ...../एक-11-2/11

उज्जैन, दिनांक ..... 4/2025

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमती प्रेमा साहू अतिरिक्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तराना
2. श्री विवेक शुक्ला अतिरिक्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नागदा
3. श्रीमती किरण कोल जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तराना
4. श्री चन्दर शेन मुवेल जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नागदा की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ।
5. प्रभारी अधिकारी फाईलिंग अनुविभाग तराना/नागदा की ओर सूचनार्थ एवं प्रकरण के अंतरण संबंधी आवश्यक कार्यवाही करने हेतु संबंधित लिपिक को निर्देशित करने हेतु प्रेषित।
6. अध्यक्ष अभिभाषक संघ तराना/नागदा की ओर सूचनार्थ।

  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
उज्जैन (म.प्र.)